<u>संख्या-274/2026/136 के-2/22-3-2026-17(64)/2026</u>

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3</u> <u>लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2026</u>

विषयः- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री बद्री निषाद, निवासी जनपद-चित्रकूट की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0-(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19.01.2026, दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री बद्री निषाद, जो कल्याणी पुरवा, पोस्ट-सरधुवा, थाना-राजापुर, जनपद-चित्रकूट का निवासी है। गाली देने से मना करने के विवाद को लेकर दिनांक 23.05.2020 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-305/2020 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 323/149, 325/149, 304/149, 504 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट के आदेश दिनांक 08.01.2025 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अन्य अपराधियों को संगठित करके अपराध कारित करने से इंकार नही किये जाने, बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक 04 वर्ष, 06 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु लगभग 32 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में गाली देने से मना करने के विवाद को लेकर दिनांक 23.05.2020 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

धारा-2 के अन्तर्गत निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री बद्री निषाद को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बच्चू (बन्दी संख्या-11/2025) पुत्र श्री बद्री निषाद, निवासी जनपद-चित्रकूट को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-274/2026/136 के-2/22-3-2026-17(64)/2026

दिनांक- 14 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री बद्री निषाद, जो कल्याणी पुरवा, पोस्ट-सरधुवा, थाना-राजापुर, जनपद-चित्रकूट का निवासी है। गाली देने से मना करने के विवाद को लेकर दिनांक 23.05.2020 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-305/2020 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 323/149, 325/149, 304/149, 504 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट के आदेश दिनांक 08.01.2025 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अन्य अपराधियों को संगठित करके अपराध कारित करने से इंकार नही किये जाने, बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक 04 वर्ष, 06 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु लगभग 32 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में गाली देने से मना करने के विवाद को लेकर दिनांक 23.05.2020 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फावड़ा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बच्चू पुत्र श्री बद्री निषाद को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।